

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर 2013—भाद्र 13, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2013

सूचना

क्र. एफ. 2-1-2013-बाईस-पी 2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. एक, सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए करना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना हो, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से तीस दिन के अवसान हो जाने पर उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा” जो इसमें इसके पश्चात् पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, ऐसे मानकों के अनुसार संचालित की जाएगी जो संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए विहित किये जाए. पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी. वर्ष 2011-12 से संबंधित पात्रता परीक्षा की वैधता तथा उपरोक्त वर्ष के पश्चात् होने वाली पात्रता परीक्षा के परीक्षा परिणाम की वैधता वर्ष 2005 तथा 2008 में हुई परीक्षा के परिणामों की वैधता को अपवर्जित करते हुए संविदा शाला शिक्षक के नियोजन हेतु वैध होगी.

(2) विद्यमान अनुसूची एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण तथा पारिश्रमिक

[नियम-2(च) तथा नियम 5]

अनुक्रमांक	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	संविदा पारिश्रमिक	नियोजन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रेणी-1	रु. 9,000.00	जिला पंचायत
2	श्रेणी-2	रु. 7,000.00	जिला पंचायत
3	श्रेणी-3	रु. 5,000.00	जनपद पंचायत. ''.

(3) अनुसूची-दो में,—

(क) अनुक्रमांक 1, 2 तथा 3 में उच्चतम आयु से संबंधित कॉलम (4) के सामने अंक तथा शब्द "35 वर्ष" के स्थान पर अंक तथा शब्द "40 वर्ष" स्थापित किये जाएं.

(ख) अनुक्रमांक 2 में, कॉलम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी.एड.)

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानक तथा प्रक्रिया) विनियम के अनुसार शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड.)

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा में स्नातक उपाधि (विशेष शिक्षा). ''.

- (ग) अनुक्रमांक -3 में, कॉलम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा.

अथवा

“कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा.

अथवा

“कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.)

अथवा

“कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा.

अथवा

“स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष

- (घ) शीर्षक नोट (क) अर्हताएं, के अधीन,

(एक) खण्ड (3) तथा (9) का लोप किया जाए.

(दो) खण्ड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए अर्थात् :-

“(12) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.”.

4. यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 2-1-2013-बाईस-पी 2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-1-2013-बाईस-पी-2, दिनांक 4 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th September.2013

NOTICE

No F-2-1-2013-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

(1) In rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) ‘Samvida Shala Shikshak Eligibility Examination’, hereinafter referred to as ‘Eligibility Examination’ shall be conducted by such norms as prescribed for the employment of Samvida Shala Shikshak. The eligibility examination shall be conducted by an agency prescribed by the Government. The validity of the eligibility examination relating to year 2011-12 and validity of result of eligibility examination to be held after the aforesaid year shall be valid for employment of Samvida Shala Shikshak, Excluding the validity of result of examination held in the year 2005 and 2008.

(2) For the existing Schedule – I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE –I

Classification and Remuneration of Samvida Shala Shikshak

[Rule 2(f) and Rule 5]

S.No,	Classification of Samvida Shala Shikshak.	Remuneration Contract	Employing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Grade-1	Rs. 9,000.00	Zila Panchayat
2.	Grade-2	Rs. 7,000.00	Zila Panchayat
3.	Grade-3	Rs. 5,000.00	Janpad Panchayat.

(3) In Schedule-II,—

- (a) in serial number 1, 2 and 3 against column (4) relating to maximum age, for the figure and words, “35 year” the figure and words “40 years” shall be substituted.
- (b) in serial number 2, in column (5), for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :—

“Bachelor Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent.

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor Degree in Education (B.Ed.).

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor Degree in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, issued from time to time in this regard.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Bachelor Degree in Elementary Education (B.El.Ed.).

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject (B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed.)

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor Degree in Education (Special education).”;

(c) in serial number 3, in column (5), for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :—

“Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 45% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 4 years Bachelor Degree in Elementary Education (B.El.Ed.).

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Education (Special Education).

OR

Bachelor Degree and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent.”;

(d) under the heading, Note (a) Qualification,—

(a) clause (3) and (9) shall be omitted.

(b) after clause (11), the following clauses shall be added, namely :—

“(12) Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Caste, Scheduled Tribes Other Backward Classes and Persons with disabilities.”.

4. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAJESH KUMAR, Addl. Secy.